मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

भोपाल, दिनांक 13/07/2018

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/939/1232

//परिपत्र//

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 की अनुसूची–09 में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के नियुक्ति, अनुशासिक प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी का प्रावधान विहित है। म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/939/2773–74 दिनांक 01.09.2015 द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक को अनुसूची–09 में सरल क्रमांक–50 एवं 53 पर राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के मंडी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक को लघुशास्ति अधिरोपित करने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है।

इस संबंध में यह देखने में आया है कि मुख्यालय में पदस्थ अपर संचालक एवं आंचलिक मण्डी बोर्ड में पदस्थ कार्यालय प्रमुखों के द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों के तहत् यथोचित कार्यवाही नहीं करते हुए प्रकरण को अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाता है अथवा शास्ति देने के पूर्व अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन लिया जाता है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत नहीं है। इससे अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही में बिलम्ब भी होता है जो उचित नहीं है।

अतः मुख्यालय में पदस्थ अपर संचालक एवं आंचलिक मण्डी बोर्ड कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि :–

1– राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम–1998 की अनुसूची–09 एवं मण्डी बोर्ड के अन्य आदेशों के तहत् प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सेवा विनियम–1998 के विनियम 30 अन्तर्गत लघु शास्ति (संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि और पदोन्नति का रोका जाना शास्ति को छोडकर) में जिन पदाधिकारियों को अधिकार प्रदत्त है उन अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रकरण को अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित नहीं कर अपने स्तर पर यथोचित आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2– आंचलिक मण्डी बोर्ड कार्यालय द्वारा संबंधित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के गम्भीर आरोप और वित्तीय अनियमितता के प्रकरण को अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ वरिष्ठालय के संबंधित अपर संचालक को प्रेषित किये जायेगें। संबंधित अपर संचालक उन प्रकरण में अपने स्तर पर यथोचित कार्यवाही कर निराकरण करेंगें।

3– आंचलिक मण्डी बोर्ड कार्यालयों द्वारा प्रकरण में दी गई लघु शास्ति के विरूद्ध अपील सुनवाई हेतु अपर संचालक (विभागीय जांच) को अधिकृत किया जाता है, दी गई शास्ति आदेश और अपील सुनवाई उपरान्त पारित आदेश की प्रतिलिपि को अपर संचालक कार्मिक और वित्त को पृष्ठांकित की जाये।

... सेवकों के निलम्बन की कार्यवाही अपने स्तर पर नहीं करते हुये ऐसे मामलों में म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 13.01.2005 के अनुक्रम में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम–35 के तहत प्रकरण में उल्लेखित कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ प्रबंध संचालक को भेजा जाये।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

Rajesh_Panpatnr

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / क / 939 / 1233 भोपाल, दिनांक 3 / 07 / 2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

2. अपर संचालक / संयुक्त संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

3. मुख्य अभियंता / अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

4. संयुक्त संचालक / उप संचालक मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय..................(समस्त)

5. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक / अनुभाग अधिकारी / सहायक यंत्री (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

6. कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग..................................(समस्त)

7. समस्त अधिकारी / कर्मचारी मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय................. / तक.संभाग

8. सतर्कता / भण्डार / समस्त शाखा...........................मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक, सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल